राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. निगरानी संख्या – 1638/2013/अलवर

मैसर्स चिराग हूमन डवलपमेन्ट सोसायटी,
निवासी–1–J–13, काला कुआं हाउसिंग बोर्ड,
अलवर जरिये प्रसिडेन्ट कपूरचन्द जैन। .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक प्रथम,
अलवर। .....अप्रार्थी.

2. निगरानी संख्या – 1639/2013/अलवर

मैसर्स महाराणा प्रताप मानव विकास समिति, जरिये
अध्यक्ष अरविन्द जैन, निवासी–एफ–54, मोहन नगर,
हिण्डौन सिटी जिला करौली। ....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक प्रथम,
अलवर। .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

आशा कुमारी – सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोहित सोनी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/11/2014

निर्णय

1. उक्त दोनों निगराकार मैसर्स चिराग हूमन डवलपमेन्ट सोसायटी, अलवर जरिये अध्यक्ष कपूरचंद जैन एवं निगराकार महाराणा प्रताप मानव विकास समिति, जरिये अध्यक्ष अरविन्द जैन की ओर से उक्त अनुवानित दो निगरानियां जो राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत करते हुए क्रमशः कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर के द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 92/13 एवं प्रकरण संख्या 90/13 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। जिनके विवादित बिन्दु सदर्श होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि निगराकारान के अभिभाषक श्री रोहित सोनी के द्वारा उक्त निगरानियों में एवं उनकी बहस में यह उर्ज लिया है कि आक्षेपित आदेश में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय (कलेक्टर) के द्वारा उन्हें बिना

लगातार.....2

सुनवाई का अवसर दिये हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो विधि अनुसार नहीं है एवं समयावधि के पश्चात् रेफरेन्स किये जाने से मेन्टेलेबल नहीं होने के बावजूद इस पर गौर किये बिना आदेश पारित किया गया है। उप पंजीयक, अलवर तथाकथित लीज डीड (विक्रय पत्र) पंजीबद्ध करने के पश्चात् एवं इसे पक्षकारान को लौटाने के पश्चात् Functus Officio हो चुका था, फिर भी आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश जो बिना मस्तिष्क का उपयोग किये एवं कारण दर्शित किये बिना कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है उसे अपास्त किया जावे।

3. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा यह निवेदन किया गया की आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है निगरानियां अवधि बाधित है। अतः निगरानियां खारिज की जावें।

4. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को मध्यनजर रखते हुए सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का अवलोकन करते हुए हमारा विनिश्चय निम्न प्रकार है :–

इस प्रकरण में कलेक्टर के निगरानी अधीन दोनों आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत दोनों निगरानियों के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ में अंकित कारणों को पर्याप्त एंव संतोषप्रद मानते हुए दोनों निगरानियों को प्रस्तुत करने में विलम्ब को कन्डोन करते हुए निगरानीयां अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 1/सम्पत्ति के मालिक/मालिकान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 किरायेदार/द्वितीय पक्षकार को प्रश्नगत सम्पति का लीज डीड (किरायानामा) उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारों को वापिस लौटा दिया गया था तत्पश्चात् महालेखाकार जांच दल के निरीक्षण में प्रश्नगत सम्पति की लीज डीड को 20 वर्ष तक की डीड मानते हुए कनवेयन्स की दर से मुद्रांक वसूल करने के आदेश के साथ कमी वसूली का आक्षेप निकाला है। तद्नुसार मालियत निर्धारण एवं देय कमी मुद्रांक/पंजीयन वसूली का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप के अनुसरण में उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 51 के तहत, रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), जिला अलवर के समक्ष दिनांक 22.01.2013 को प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दोनों प्रकरण 90/13 एवं 92/13 दिनांक 28.01.2013 को न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर के यहां दर्ज हुए। उपपंजीयक द्वारा उनके रेफरेन्स में छपे हुए Cyclostyle परफोरमा में यह उद्धरित किया गया है कि आक्षेपित सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू दर्शाकर मुद्रांक कर बचाया गया है। अतः दोनों प्रकरणों में मार्केट वैल्यू के अनुसार सम्पत्ति का आंकलन करते हुए अदा किया गया कर कम होने के

लगातार.....3

कारण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) के तहत पक्षकार को तलब कर कमी मुद्रांक एवं कमी पंजीयन की राशि मय पैनेल्टी वसूल कराने का निवेदन किया। उक्त रेफरेन्स पर अधीनस्थ न्यायालय/कलेक्टर (मुद्रांक), अलवर के द्वारा दिनांक 28.01.2013 को प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिये एवं पत्रावली दिनांक 08.03.2013 को नियत की। परन्तु दिनांक 08.03.2013 को विपक्षी पर पर्याप्त तामील हो गई हो ऐसा पत्रावली पर स्पष्ट नहीं हो रहा है; ना ही पत्रावली में अप्रार्थी के नोटिस बाद या अदम तामिल संलग्न किये गये है जिससे यह माना जा सके कि केता/विकेता को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् व बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय (कलेक्टर) में उपस्थित नहीं आये हो। जबकि यह प्राकृतिक न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है की विपक्षी को नोटिस जारी, कर सुनवाई का अवसर देकर रेफरेन्स के संबंध में आदेश पारित किया जाना चाहिये। दिनांक 08.03.2013 की आदेशिका में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस/सूचना के बावजूद अनुपस्थित होना जाहिर किया गया और उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उसे अधीनस्थ न्यायालय (कलेक्टर) द्वारा उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना एवं कोई कारण दर्शित किये बिना, रेफरेन्स को यथावत स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट होता है कि, न केवल अप्रार्थी पर नोटिस की तामिल कराई गई बल्कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय तथ्य एवं परिस्थितियों पर किसी प्रकार का मनन किये बिना एवं मस्तिष्क का उपयोग किये बिना रेफरेन्स स्वीकार किया गया जबकि सम्पूर्ण पत्रावली की आदेशिकाओं में अप्रार्थी पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश न तो पारित हुए है, न ही रजिस्र्ड नोटिस अथवा ए.डी. पत्रावली पर संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय (कलेक्टर) ने केता/विकेता को विधि अनुसार नोटिस सम्मन तामिल नहीं कराये एवं दोनों ही प्रकरणों में विधिवत नोटिस जारी किये बिना, पर्याप्त तामिल बिना एवं अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध है। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार बनाम गीतारानी 2002 (1) आर. आर.टी. 81 के निर्णय में यह मत प्रकट किया गया है कि केता तथा विकेता दोनों को नोटिस जारी कर तामिल करवाना आवश्यक है। इसी प्रकार (1.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय रामकंवर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य आर. आर.टी. 2011(1) पेज नं. 405 (2.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय विष्णु अग्रवाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य आर.आर.टी. 2007(2) पेज नं. 1137, (4.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के निर्णय श्री शेख मोहम्मद जावेद**

लगातार.....4

सी.एस.सी. इंचार्ज पी.जी.एफ. लि0, अजमेर बनाम राजस्थान सरकार आर.बी.जे. 2012(19) पेज नं. 638 और (3.) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय श्रीमती थावरी बेवा हरजी भील, जिला बांसवाडा व अन्य बनाम रतनसिंह पुत्र कल्याणसिंह जिला बांसवाडा व अन्य आर.बी.जे. (14)2007 पेज नं. 222 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि कमी मुद्रांक शुल्क के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्स में विक्रेता एवं क्रेता को नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है और इसकी पालना नहीं किये जाने पर आदेश संवहनीय नहीं होगा। अतः कलेक्टर (मुद्रांक), जिला अलवर के उक्त दोनों आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध व दोषपूर्ण होने से हम संवहनीय (sustainable) नहीं होना पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों प्रकरणों में प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। उपरोक्त वर्णित निर्णयों की रोशनी में उक्त दोनों निगरानियां स्वीकार की जाकर करके, कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाता है तथा यें प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वें इन प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये सभी विधिक बिन्दुओं व तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् प्रकरणों को गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णित करे। उभयपक्ष कलेक्टर न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.01.2015 को उपस्थित रहेंगे।

5. परिणाम स्वरूप दोनों निगरानीयां स्वीकार की जाकर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. निर्णय सुनाया गया।

13.11.14

(आशा कुमारी)
सदस्य